Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में अवैध तरीके से कैद कर मारपीट करने के आरोपी 1-मोनू उर्फ अमित, 2-राजेन्द्र सिंह, 3-प्रिया, 4-अटल को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर प्रत्येक को हुआ 02 वर्ष का साधारण कारावास व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा-

श्री इन्द्रपाल
एडीजीसी
जनपद
बागपत

का0
हरदीप
कोर्ट
पैरोकार

अवगत कराना है कि वर्ष 2021 में अभियुक्तों 1-मोनू उर्फ अमित पुत्र ब्रिजेश, 2-राजेन्द्र सिंह पुत्र रामकुमार 3-प्रिया पत्नी राजेन्द्र, 4-अटल पुत्र हरपाल सिंह निवासीगण ग्राम शबगा थाना छपरौली जनपद बागपत द्वारा अवैध तरीके से कैद कर मारपीट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 243/2021 धारा 323/342/504/506 भादवि व 3(2)5 एससी/एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 24.02.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल एससी/एसटी कोर्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्तों 1-मोनू उर्फ अमित, 2-राजेन्द्र सिंह, 3-प्रिया, 4-अटल को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर प्रत्येक को हुआ 02 वर्ष का साधारण कारावास व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice baghpatpolice Baghpat Police

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत **दिनाँक 24.02.2026**

थाना बडौत पुलिस एवं सर्विलांस सैल बागपत की संयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0 117/2026 धारा 103(1)/3(5) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आये 02 हत्यारोपी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 बुलेट मोटरसाइकिल नं0 UP-17U-4427 तथा आला कत्ल 01 फ्राईपैन व 01 ईंट बरामद।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 16.02.26 को थाना बडौत पर वादी श्री जसवीर पुत्र जयपाल निवासी सुल्तानपुर हटाना थाना बडौत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि किसी अज्ञात व्यक्ति की हत्या करके किसी ने वादी के खेत में शव को डाल दिया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना थाना बडौत पर मु0अ0स0 117/2026 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बड़ौत पुलिस एवं सर्विलांस सैल बागपत की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु0अ0सं0 117/2026 धारा 103(1)/3(5) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आये 02 हत्यारोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 बुलेट मोटरसाइकिल नं0 UP-17U-4427 तथा आला कत्ल 01 फ्राईपैन व 01 ईंट बरामद हुई है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1.मोहित राठी पुत्र स्व0 जयपाल निवासी ग्राम गांगनौली थाना दोघट जनपद बागपत।

2.चमन पुत्र सुरेशपाल निवासी ग्राम गांगनौली थाना दोघट जनपद बागपत।

गिरफ्तारी का समय दिनांक व स्थान- **उपरोक्त अभियुक्तों को दिनांक 24-02-2026 समय 12.30 बजे दिल्ली-सहारनपुर हाईवे जोहर पब्लिक के सामने थाना बड़ौत क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है।**

बरामदी का विवरण

- **01 बुलेट मोटरसाइकिल नं0 UP-17U-4427**
- **आला कत्ल 01 फ्राईपैन व 01 ईंट।**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्र0नि0 श्री मनोज कुमार चाहल थाना बडौत जनपद बागपत।
2-उ0नि0 श्री संजय कुमार मय सर्विलांस टीम जनपद बागपत।
3-है0का0 691 अमित नागर थाना बडौत जनपद बागपत।
4-का0 301 मुलायम सिंह यादव थाना बडौत जनपद बागपत।
5-का0 666 रघुवीर थाना बडौत जनपद बागपत।
6-का0 406 रविन्द्र थाना बडौत जनपद बागपत।
7-का0 399 राहुल चौहान थाना बडौत जनपद बागपत।
8-का0395 ललित रौसा थाना बडौत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत **दिनाँक 24.02.2026**

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

संक्षिप्त विवरणः--

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 115/26 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचनाः- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अनित पुत्र सतवीर निवासी ग्राम संतोषपुर बाघू थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- **01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर।**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-म0उ0नि0 सीमा सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
2-उ0नि0श्री आलोक कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
3-है0का0 435 आलोक कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
4-का0 369 विशाल पंवार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत   दिनाँक 24.02.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करते हुए आवेदक के खोए हुए मोबाइल फोन को मात्र 03 घंटे की समयावधि में अथक प्रयासों के उपरांत सकुशल बरामद कर उसे सकुशल किया सुपुर्द ।

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही--

दिनांक 24-02-2026 को थाना कोतवाली बागपत पर आवेदक गौरव पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम फुलैरा, थाना चांदीनगर, जनपद बागपत द्वारा लिखित सूचना दी गई कि उनका मोबाइल फोन (Samsung A-33) कहीं गुम हो गया है। उक्त सूचना पर थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ की गई। थाना सर्विलांस टीम की सहायता से तकनीकी माध्यमों का उपयोग करते हुए मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की गई। पुलिस टीम द्वारा तत्परता एवं सूझबूझ के साथ कार्य करते हुए अथक प्रयासों के उपरांत अल्प समयावधि (लगभग 03 घंटे) के भीतर उक्त मोबाइल फोन को सकुशल बरामद कर लिया गया।

मोबाइल सुरक्षित प्राप्त होने पर आवेदक एवं उनके परिजनों द्वारा प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बागपत पुलिस की त्वरित एवं सराहनीय कार्यवाही के लिए आभार प्रकट किया गया।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1-निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-म0उ0नि0 मोना शर्मा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

3-का0 44 संजीव कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

प्रेसनोट जनपद बागपत

थाना - चांदीनगर   दिनाँक 24.02.2026

थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 23/2026 धारा 351(3)/70(2)/308(5) बीएनएस व 3/4(2) पोक्सो एक्ट एवं 3(2)5 SC/ST ACT में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.02.2026 को थाना चांदीनगर पर वादिया द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि अभियुक्तों 1. आशिफ पुत्र हनीफ एवं 2. साहिल पुत्र अनीश (निवासीगण अज्ञात) द्वारा तमंचा दिखाकर वादिया को घर से आभूषण (कुंडल व अंगूठी) लाकर देने के लिए भयभीत किया गया। डर के कारण वादिया ने उक्त आभूषण अभियुक्तों को दे दिए। साथ ही किसी को बताने पर वादिया के भाई को जान से मारने की धमकी दी गई। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 23/2026 धारा 351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा थाने के 23/2026 धारा 351(3)/70(2)/308(5) बीएनएस व 3/4 (2) पोक्सो एक्ट एवं 3(2)5 SC/ST ACT में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

<u>नोट-</u> उपरोक्त अभियोग में विवेचना दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर धारा 70(2)/308(5) बीएनएस व 3/4 (2) पोक्सो एक्ट एवं 3(2)5 SC/ST ACT की वृद्धि की गयी है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-</u>

1.आशिफ पुत्र हनीफ निवासी ग्राम लहचौडा थाना चाँदीनगर जनपद बागपत।

2.साहिल पुत्र अनीश निवासी ग्राम लहचौडा थाना चाँदीनगर जनपद बागपत।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

1-उ0नि0 श्री अमर सिंह थाना चाँदीनगर जनपद बागपत।

2-उ0नि0 श्री अमित कुमार थाना चाँदीनगर जनपद बागपत।

3-है0का0 349 नरेन्द्र कुमार थाना चाँदीनगर जनपद बागपत।

4-है0का0 09 दानवीर सिंह थाना चाँदीनगर जनपद बागपत।

5-का0 18 राहुल कुमार थाना चाँदीनगर जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बालैनी दिनाँक 24.02.2026

थाना बालैनी पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना बालैनी पर मु0अ0सं0 22/26 धारा 4/25 आर्मएक्ट पंजीकृत कर एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

विपिन उर्फ भूरा पुत्र ओमकार लुहार निवासी ग्राम रोशनगढ थाना बालैनी जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध चाकू।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 पंकज कुमार थाना बालैनी जनपद बागपत।

2- उ0नि0 सुनील कुमार थाना बालैनी जनपद बागपत।

3- है0का0 657 अवधेश शर्मा थाना बालैनी जनपद बागपत।